an>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Acid(Control) Bill, 2014 moved by Dr.Kirit Premjibhai Solanki on the 28th November, 2014 (Bill witthdrawn).

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki to continue.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने पिछली बार एसिड (कंट्रोल) बिल पर अपनी चर्चा की शुरूआत की थी। जहां तक महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल है, कई प्रकार के उत्पीड़न होते हैं। चाहे वह डोमेस्टिक वॉयलेंस हो, महिलाओं पर डाउरी के किस्से हों, हमले हों, घरेलू हिंसा हो, प्रताड़ना हो, बलात्कर या जातीय शोषण हो, महिलाएं सॉफ्ट टार्गेट होती हैं। महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्ग की महिलाओं का सवाल है, वे ही इसका सॉफ्ट टारगेट बनती हैं। महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं। कई किस्सों में उत्पीड़न या रेप के बाद उनकी हत्या की जाती है। कई किस्से हमारे संज्ञान में आए हैं, हम सबको साथ बैठकर इस बाबत चिंतन करना पड़ेगा और कठोर नियम बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रयत्न करना पड़ेगा।

16.06 hrs. (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

महिलाओं पर जहां तक एसिड अटैक का सवाल है, ऐसिड अटैक एक अलग तरह का अटैक है। एसिड अटैक में महिलाएं अक्सर बच जाती हैं, किन्तु शेष जीवन तड़प-तड़प कर कर जीती हैं। हर दिन जब वह उठती हैं, हर दिन वह मरती हैं, बार-बार मरती हैं। समाज में उनकी स्थिति तिरस्कृत सी हो जाती है। उनके रिलेटिव्स भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, सहकर्मचारी भी उनके साथ खेदजनक व्यवहार करते हैं। एसिड अटैक बहुत ही घृणित और जघन्य अटैक है। इससे महिलाएं डिसएब्लड हो जाती हैं। कई घटनाओं में वे अपनी आंखें गवां देती हैं, होठ विकृत हो जाता है, पूरा चेहरा विकृति हो जाता है। इसमें इतनी पीड़ा रहती है कि महिला की जिन्दगी जीने लायक नहीं रह जाती। वह पूरी जिन्दगी तड़प-तड़प कर जीती है। इसलिए मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष लाया हूं। तेजाब से महिलाओं पर जो हमले होते हैं, इसके लिए सदन एक कठोर कानून बनाए, इसके लिए एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। जघन्य अपराध से महिला मेंटली टूट जाती है, मोरली टूट जाती है, उनका सामाजिक जीवन बिखर जाता है। वह फाइनेंशियली भी टूट जाती हैं क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट, काफी महंगी भी है, इसमें कॉस्मेटिक, प्लॉस्टिक सर्जरी की, चूंकि मैं पेशे से एक सर्जन हूं, मैं जानता हूं कि ऐसे मामलों में एक बार सर्जरी से काम नहीं होता है। बार-बार हॉस्पीटल में भर्ती होना पड़ता है। बार-बार कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी के बार बार she has to undergo various treatments again and again. यह ट्रीटमेंट इतनी महंगी होती है, महिलाएं उसको झेल नहीं सकती हैं, वे महिलाएं आर्थिक रूप से टूट जाती है, महिलाएं स्थायी रूप से डिसएबल हो जाती हैं। गृह मंत्री जी ने इसी सदन में जो आंकड़े दिए थे, वह बहुत चौंकाने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2011-2013 तक के जो आंकड़े दिए थे, इस दौरान 234 अटैक हुए थे। ये सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, जो आंकड़े संज्ञान में नहीं आए हैं, जो आंकड़े रजिस्ट्र्ड नहीं हुए हैं, ऐसे कई आंकड़े हैं। महिलाएं तड़प-तड़प कर जीती हैं। अटैक करने वाला उस पर अटैक करके भाग जाता है। सरकार को उनकी आइडेंटिटी भी नहीं मिलती है। ऐसे लोग डिसएपियर हो जाते हैं, उनको दंडित करने के लिए हमारे पास जो प्रावधान हैं, वे बहुत ही सीमित हैं। एसिड अटैक और भारतीय लॉ के बारे में बात करूं the Indian Penal Code remains silent as far as defining acid attack is concerned. It is difficult for the prosecution to put up a strong case against the culprit. Currently the crime is booked under Section 326 of Indian Penal Code which deals with causing grievous hurt by throwing a corrosive substance, etc.

Here, the scope of definition is very narrow and does not deal adequately with the issue because it does not cover the various kinds of injuries inflicted because of an acid attack. The section does not cover the act of administering acid attack, i.e. planning of the acid attack. The section gives a wide discretion to the Court as far as punishment is concerned. There is no clear provision of awarding the compensation to the victim.

Sir, acid attack is a ghastly crime. In 2008, the Law Commission of India came out with the inclusion of acid attack as a specific offence in the Indian Penal Code and the law for compensation for the victims of crime. Additional sub-sections are added in existing section 326 of the Indian Penal Code. The sections added are 326A and 326B.

Section 326A suggests hurt by any acid attack. Whoever burns or maims or disfigures or disables any part or parts of the body of a person or causes a grievous hurt by throwing acid or administering acid to the person with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may be extended to life imprisonment with fine which may extend to Rs 10 lakh.

Section 326B suggests that it provides minimum 5 years punishment extendable to 7 years and the fine for attempt of acid attack.

Another section, i.e. section 166B is also introduced. It provides punishment upto one year in case of hospital, whether it is a public hospital or a private hospital, if it does not provide first-aid or medical treatment free of cost to the victim.

सभापति महोदय, ये सब प्रावधान होते हुए भी कानून में बहुत गेप है। ये प्रावधान पनिशेबल लीगल अप्लाइअन्सेज किये गये हैं। जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है तो उस पर हमारा कानून आज भी साइलेंट है। मैं समझता हूं कि महिलाओं पर एसिड अटैक न हो, ऐसा हमें प्रावधान करना चाहिए। किसी की हत्या करने पर सैक्शन 302 में फांसी की सजा का प्रावधान है, मगर फिर भी ऐसे इंसीडेंट्स समाज में होते रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे कानून पैदा ही न हों, क्योंकि आज आप देखेंगे कि तेजाब किसी भी किराने की दुकान पर मिलता है और उसकी कीमत महज 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक होती है। कोई भी व्यक्ति तेजाब की बोतल उठाकर किसी पर भी डाल कर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है।

सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में हमें कठोर प्रिवेंशन करना चाहिए। मौजूदा कानून में जो गेप है, उसे हमें भरना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसे जघन्य अपराध न कर सकें। इसलिए मैं इस सदन के सामने एसिड अटैक विधेयक, 2014 लेकर आया हूं। इस हेतु मैं एसिड बिल, 2014 को प्रस्तुत करता हूं। इस सूचित विधेयक के प्रमुख तीन बिन्दू हैं--एसिड सेल्स और प्रोडक्शन पालिसी पर बैन लगाना चाहिए। दूसरा, उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए और एसिड हमले में जो पीड़ित है, उसे नःशुल्क मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। पीड़ित के ऊपर कितना भी खर्च हो, सरकार को वहन करना चाहिए। पीड़ित के पुनर्वास के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

एसिड सेल स्टेट का विषय है। इस मामले में संघीय ढांचे का सवाल उठता है, मैं सरकार से विनती करता हूं कि संघीय ढांचे में लचीलापन लाना चाहिए ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में तकरार न हो। दोनों को मिलजुल कर सहमति से कानून पारित करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि एसिड प्रोडक्शन और सेल्स पालिसी पर रोक लगानी चाहिए। एसिड ट्रेड नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि ट्रेडर बिना लाइसेंस एसिड स्टॉक न रख सकें। 18 साल से कम उम्र के किसी भी ग्राहक को एसिड नहीं देना चाहिए। हर खरीददार के लिए एसिड खरीदने के लिए आईडी प्रूफ देना अनिवार्य होना चाहिए। ट्रेडर को हर बिक्री का ब्यौरा तैयार करना चाहिए और इसे तीन दिन के भीतर पुलिस में जमा

कराना चाहिए। लाइसेंस स्टॉक होल्डर द्वारा सभी स्टॉक की जानकारी 15 दिनों के भीतर सब-डिवीजनल मेजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए और ऐसा न करने पर उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। गाईडलाइन्स के मुताबिक अस्पताल, लेबोरेटरी या अन्य संस्थान, जहां इसकी जरूरत होती है, इस्तेमाल होता है, एसिड के स्टॉक और खपत का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होना चाहिए। सरकार को एसिड हमलों में नःशुल्क सहायता और पुनर्वास के लिए ठोस प्रावधान करना चाहिए। सरकार को नःशुल्क मेडिकल सहायता उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी पर बहुत खर्च आता है। इसमें सिर्फ एक सर्जरी से रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार तो सीरीज़ ऑफ सर्जरी करानी पड़ती है, पांच या दस बार सर्जरी करानी पड़ती है और इसके बावजूद भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। सरकार को इस तरह के खर्च का प्रावधान करना चाहिए। एसिड से पीड़ित लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनको साइकोलॉजिकल बैकअप देना चाहिए। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सक सहायता देनी चाहिए। उनके लिए समाज में ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए ताकि सभी लोग उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाएं। चाहे शैक्षणिक संस्था हो या नौकरी की जगह हो या समाज में कोई भी जगह हो, इनको सम्मान मिलना चाहिए। एसिड से पीड़ित व्यक्ति को हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसके लिए कोई ठोस कमीशन बनाना चाहिए।

महोदय, दुनिया के अन्य देशों में एसिड अटैक के लिए प्रावधान किए गए हैं, ब्रिटेन में भी कानून बना है। हमारे पड़ौसी मुल्क बांग्लादेश में एसिड अटैक के लिए जो कानून बना है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के देशों के कानूनों में सबसे अच्छा कानून है। हमें इस मॉडल को स्थापित करना चाहिए। सरकार को एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों की सपोर्ट करना चाहिए।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सभी जिलों में एसिड कंट्रोलर पोस्ट का गठन करना चाहिए ताकि देश के हर जिले के ज्यूरिस्डिक्शन में एसिड बिक्री पर कंट्रोल किया जा सके और कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसकी प्रापर मानिटरिंग होनी चाहिए। स्टॉकिस्ट को पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए और समय-समय पर सरकार से ग्रांट करानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि एसिड कंट्रोलर की पोस्ट हर जिले में स्थापित की जानी चाहिए। ताकि ऐसे लोगों पर भविष्य में हमले न हों, ऐसे लोगों की जिन्दगी न बिगड़े, जिनकी शिकार खासकर महिलाएँ होती हैं और महिलाओं को हम समाज में और हमारी जो संस्कृति है, उसमें महिलाओं का आदर करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और मैं गृह मंत्रालय से गुज़ारिश करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस एसिड कंट्रोल बिल संबंधी कानून को जल्द ही सदन में लाएं और बिल में लचीलापन लाएं।

माननीय सभापति : कृपया अब समाप्त कीजिए। आपके समर्थन में बोलने वाले अभी बहुत सारे वक्ता हैं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : इसलिए मैं इस बिल को सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय सभापति जी, मैं डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जो रसायनों की बिक्री को नियंत्रित करके महिलाओं पर होने वाले एसिड अटैक की घटनाओं को रोकने के संबंध में है, उसके समर्थन में अपने विचार रखते हुए कहना चाहती हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव रखने वाले हमारे देश के लिए एसिड अटैक की घटनाएँ एक बहुत बड़ा कलंक है। यह दुखद है कि हमारे देश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तमाम रसायन खुले तौर पर सस्ते दामों में देश के कोने-कोने में उपलब्ध हैं और महिलाओं के विरुद्ध हथियार के रूप में बराबर इस्तेमाल किये जा रहे हैं। वे महिलाएं, जो गरीब परिवारों से आती हैं, दलित-पिछड़े, आदिवासी समुदायों से आते हैं, कमजोर वर्गों से आती हैं, विशेषकर उनको एसिड अटैक की घटनाओं का शिकार बनाया जाता है। इससे ज्यादा जघन्य और अक्षम्य अपराध और कोई नहीं हो सकता जिसमें महिलाओं का पूरा जीवन तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। उन्हें इन घटनाओं के मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय और सामाजिक निहितार्थ झेलने पड़ते हैं। शायद हमारे शब्दकोश में ऐसे शब्द न हों, जिनसे उन महिलाओं की पीड़ा को, उनके दुःख को, उनकी वेदना को व्यक्त किया जा सके। एसिड अटैक करने वालों की जो मंशा होती है, वह एक महिला को बदसूरत बनाने से लेकर, उसे जीवन भर उत्पीड़ित करने से लेकर, उनकी हत्या करने तक होती है और ऐसे कारणों के चलते, यदि उन कारणों का विश्लेषण किया जाए तो बड़े ही अविवेकी, बड़े ही अगंभीर और बेसबब कारण निकलकर सामने आते हैं।

सभापति महोदय, हमारी संसद ने वर्ष 2013 में इस प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक कानून भी बनाया था। उस कानून के तहत ये प्रावधान किये गये थे, जिसमें राज्यों को अपने-अपने राज्यों की सीमा में जो रसायन हैं, उनकी बिक्री पर नियंत्रण करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन दुःख की बात यह है कि राज्यों ने उन कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं किया। आज भी उन रसायनों की बिक्री बराबर खुले तौर पर सस्ते दामों पर जारी है। साथ ही उस कानून में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो इससे पीड़ित महिलाएँ हैं, उनको मुआवज़ा भी मुहैया कराया जाए, लेकिन उसके लिए भी जो पीड़ित महिलाएँ हैं, उनको दर-दर भटकना पड़ता है। तो ज़मीन पर बहुत कुछ नहीं बदला है। जुलाई, 2014 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकारों को निर्देशित किया कि रसायनों की बिक्री पर वे नियंत्रण लगायें और जितने भी एसिड ट्रेडर्स हैं, उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाए, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तमाम रसायन, जो एसिड अटैक में इस्तेमाल किये जाते हैं, उनकी बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए और एक निगरानी व्यवस्था राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में विकसित करें, जिसके तहत जो रसायन खरीदने वाले हैं और जो रसायन के बिक्रेता हैं, वे एसिड खरीदने वालों के नाम, फोटो आई.डी., पहचान पत्र आदि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखें, जिससे बाद में अगर कोई घटना हो तो उनकी पहचान की जा सके और उनको सज़ा दी जा सके। सरकार के स्तर से अभी भी इस मामले में और भी गंभीर रवैया अपनाने की जरूरत है क्योंकि जैसा कि डा. सोलंकी ने बताया कि घटना हो जाने के उपरांत सज़ा देने वाले तमाम प्रावधान हमारे कानूनों में हैं, लेकिन इन घटनाओं को हम कैसे रोकें, इसके बहुत प्रावधान हमारे पास नहीं हैं। इसी की व्यवस्था करने की जरूरत है। यदि हम इन घटनाओं को होने से रोक देंगे तो ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं, जो अकारण इसका शिकार बन रही हैं, जिनका पूरा जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है, उनके जीवन में हम एक नयी रोशनी ला सकते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से अपील करती हूं कि इसे पारित किया जाए क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी के सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उसे उज्ज्वल बनाने के लिए यह विधेयक ऐतिहासिक साबित होगा।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, यह सिर्फ आधी आबादी का सवाल नहीं है। महिलाओं के बगैर जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है। इस देश में सीता-राम, राधे-कृष्ण, पार्वती-शिव, दुर्गा, काली, अहिल्या और कौशल्या, झांसी की रानी, मदर टेरेसा, पी.टी.ऊषा आदि महिलाओं का संस्कृति एवं सभ्यता में सबसे बड़ा योगदान रहा। व्यक्ति के निर्माण में जिन महिलाओं का योगदान हो, उस देश की आजादी के 67 साल बाद लगातार महिलाओं का अपमान, महिलाओं पर अत्याचार होता है। जन्म लेते ही बेटी माता-पिता के लिए जीना शुरू कर देती है, बड़े होते ही भाई के लिए, थोड़ा बड़े होने पर पति के लिए, उससे बड़ी होने पर अपने बच्चों के लिए, उससे बड़ी हो जाए तो पोता-पोती के लिए और बड़ी हो जाए तो नातिन के लिए जीती है। जीवन से लेकर अंत तक सिर्फ उनका समर्पण ही होता है। जिस देश ने महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान अपने व्यवहार में किया हो, भाषा में, संस्कृति में, गीता में, कुरान में, बाइबल में मर्यादाओं की बात की गयी, लेकिन आचरण एवं कर्मों में कभी महिलाओं का सम्मान जिस देश में न हुआ हो, दहेज के नाम पर, विधवा हो जाने पर, सती के नाम पर अत्याचार होते हैं और बेटी होना ही जिस देश में गुनाह हो जाए, जिस देश में भ्रूण हत्या विरोधी कानून पर सख्ती से अमल न किया जाए, वहां एसिड जैसी चीजों पर बहस होना बहुत बड़ी बात है। एसिड से होने वाले इस अपराध को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य, जो इस बिल को लाए हैं,

उनको धन्यवाद देता हूं। लगातार जलाने की प्रक्रिया, दबाने की प्रक्रिया चल रही है। जो लोग बोल रहे हैं, उनके घर में बेटियों और बहनों का सम्मान नहीं होता है। अपने घर में हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, न मां के रूप में। आज हिन्दुस्तान के 60 प्रतिशत बुजुर्ग मां-बाप अपने बच्चों से अलग रहना पसन्द करते हैं। यह आपका सर्वे है।...(व्यवधान) यह आपकी सरकार का सर्वे है। ...(व्यवधान) बड़े-बड़े करोड़पति-अरबपति जाकर धार्मिक स्थलों पर रहते हैं, वे अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उस देश में आज यह कानून लाने की बात हो रही है। कानून तो है, वह लागू क्यों नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी एसिड कहां मिलेगा, एसिड किस मात्रा में मिलेगा, किस उम्र के लोग एसिड ले सकते हैं, उसकी पर्टीकुलर जगह कहां होगी, 30-35 साल के नौजवान को एसिड मिलना चाहिए या नहीं, यह नहीं होता है। जला दिए जाने के बावजूद उन बच्चियों के इलाज की कोई व्यवस्था न राज्य सरकार करती है, न केन्द्र सरकार करती है, कुछ एनजीओज मदद कर देती है। आज तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है, न उनके जीवन जीने के लिए किसी आर्थिक सुविधा की व्यवस्था की गयी, न ही सख्त कानून लाए गए। न ही सख्त कानून लाए गये। लड़कियों और बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी जाती है, इसलिए इस पर आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए या कम से कम इस पर 14 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इतने जघन्य अपराध के लिए सख्त कानून होना चाहिए। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, मध्यम वर्ग है, उन्हें इलाज नहीं मिलता है। बड़े परिवार की बच्चियों का इलाज हो जाता है, मदद मिल जाती है, लेकिन गरीबों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों की बच्चियों का इलाज नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे कमजोर तबकों की बच्चियों के लिए विशेष प्रावधान आप कानून में करें।

एसिड बेचने की व्यवस्था चुनिंदा दुकानों पर हो, उनके पास लाइसेंस हो और अगर लाइसेंस वाली दुकान भी गलत तरीके से एसिड बेचती है, तो उसका लाइसेंस निरस्त हो, उस पर केस दर्ज होकर उसे भी जेल भेजा जाए। एक व्यक्ति के लालच के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही इस देश की महिलाओं का सम्मान कैसे हो, कैसे भ्रूण हत्या रुके, कैसे बलात्कार रुकें, इसके लिए भी कठोर कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।

*m04

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, Sir, at the outset I must congratulate my esteemed colleague Dr. Kirit Solanki who has taken pain to introduce this kind of significant legislation in this august House with a view to protecting and safeguarding our womenfolk from the onslaught of acid attacks, which has been increasing at an alarming pace, much to the consternation of all of us.

If you go through the history, it is found that on October 17, 1915 acid was fatally thrown on Leopold Clement of Saxe-coburg and Gotha, heir to the House of Kohary, by his distraught mistress, Camilla Rybicka, who then killed herself. That is why the acid attack some times is called 'vitriolic' attack. The use of acid as a weapon began to rise in many developing nations, especially those in South Asia. The first recorded acid attacks in South Asia occurred in Bangladesh in 1967; in India in 1982; and in Cambodia in 1993. Since then research has witnessed an increase in the amount and severity of acid attacks in this region. However, this can be traced back to significant under reporting in the 1980s and 1990s.

Dr. Solanking was saying that there has been a serious under reporting which sometimes hide the actual number of acid attacks. Here, through this legislation, the hon. Member has sought to provide for control of sale and distribution of acids in order to prevent the acid attacks on human beings, particularly on women and girls and for matters connected therewith or incidental thereto. It is the main focus of this legislative document. I am intending to add a few lines to this legislation. Since acid attacks may be motivated by one or different reasons, legislation should focus on the acts that constitute the crime rather than the motive. We should have a very comprehensive legislation on this issue because acid attack can simply be recognised as a heinous crime. It does not kill the victim but it destroys the life of the victim. The life of an acid survivor is beyond description because only the victim knows how she has been undergoing the trials and tribulations of her life.

The legislation should also penalise those who aid and abet this harmful practice and include family members among those who may be penalised. It should also make acid attacks a "transferable intent" crime providing the same penalties regardless of whether the person injured was the intended victim or not. The law should prohibit the acceptance of informal financial settlement or marriage as settlement of claims. This is under-reported because various kinds of informal measures are often adopted by the perpetrator of this crime. I am emphasising that the perpetrator should be prosecuted under the murder statutes of the penal code. ...(*Interruptions*)

महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति : अन्य माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The specific law on the acid attack should provide a term of imprisonment and fine which is no less severe than what is provided under the murder statutes of the general penal code with the exception of capital punishment. The legislation should provide that no mediation provisions are a part of the legislation on acid attack. It should require the sellers of acids to create and maintain a record of each sale and the identity of each purchaser. I think Dr. Solanki also made some proposition on this issue. It should require the sellers of acid to take all necessary measures to ensure that their supplies of acid are not stolen and immediately report any stolen acid. I would like to draw the particular attention of Dr. Solanki that the legislation should impose a duty upon medical providers to report all cases of bodily harm caused by acid to law enforcement. I would like to draw your attention that medical providers should be drawn into this area. The legislation should also mandate that police officers investigate any case reported by a medical provider where bodily harm was caused by acid. It should also establish and fund public awareness campaigns and training for all sectors about this harmful practice and its consequences. The legislation should also allow victims to pursue civil remedies against their attackers. Monetary damages should include the cost of reconstructive surgery.

महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे हिन्दुस्तान में जहां हम माताओं की, कन्याओं की पूजा करते हैं, वहां सबसे ज्यादा महिलाएं तेजाब की शिकार बनती हैं। हमारी महिलाएं लगभग 77 फीसदी तेजाब फेंकने की वजह से शिकार बनती हैं। इसलिए अगले ही दिन सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की हिंसा न हो। मैं समझता हूं कि इस बिल का सबको समर्थन करना चाहिए और सरकार को इसे पास कराना चाहिए। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, आपने एक ऐसी सामाजिक कुरीति और एक ऐसे संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी मेरे सम्मानित साथियों ने अपनी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति की है, मैं भी उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो साठ से सत्तर परसैन्ट बहने और बेटियां होती हैं, एक तरफ वे फिजिकल और मैन्टल ट्रामा की स्टेज में जाती हैं और दूसरी तरफ कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, शायद वे जिंदगी भर अपने परिवार के लिए बोझ बन जाती हैं। क्योंकि एक बार हमारी बेटी या बहन इस एसिड का शिकार होने के बाद अगर समाज में वह किसी जॉब में है तो उसे उस जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है, यहां तक कि उसके रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं और उसके ट्रीटमैन्ट और कॉस्मैटिक सर्जरी में उसके परिवार का घर तक बिक जाता है। आपने देखा होगा, हम लोग भी अपने इलाके में देख रहे हैं कि आज ऐसे लोग किस त्रासदी से गुजर रहे हैं।

महोदय, पिछले दिनों हमारी छोटी बहन लक्ष्मी के साथ एक घटना हुई और इस कॉज को लेकर वह देश के उन सभी लड़के और लड़कियां, जो एसिड के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए एक लड़ाई लड़ रही है। आज भी जन्तर मन्तर पर लक्ष्मी के नेतृत्व में जो एसिड के विक्टिम्स हैं, उनके नेतृत्व में इस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो एसिड के विक्टिम्स होंगे, इनका इलाज बहुत महंगा होता है। मैं उनके रीहैबिलिटेशन की बात बाद में करूंगा, मैं उनके ट्रीटमैन्ट की बात करता हूं, उनका ट्रीटमैन्ट इतना महंगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें कम से कम तीन लाख रुपये की मदद की जाए। जबकि आज उतने पैसे में भी ट्रीटमैन्ट नहीं हो सकता। लेकिन आज तक तमाम राज्यों में वे आरटीआई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम केवल बात करते हैं। यदि कहीं कोई इस तरह की घटना हो जाती है या महिलाओं के उत्पीड़न की बात आती हैं, सैक्सुअल असॉल्ट की बात होती है तो पूरे देश में ह्यू एंड क्राई होता है। क्या हमारी यह संवेदनशीलता नहीं है कि अगर आज कोई बहन-बेटी एसिड का शिकार हो गई और उसकी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से एक बोझ बन गई तो आखिर उसे हम रीहैबिलिटेट करने के लिए, उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक दायित्व के लिए या किस तरह से उसके ट्रीटमैन्ट की व्यवस्था होगी, किस तरह से वह अपनी जिंदगी को गुजार सकती है, उसकी जिंदगी के सारे सपने तार-तार हो जाते हैं, फिर वह एकाकीपन की जिंदगी जीती है।

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आखिर उस 18 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आज तक लागू क्यों नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि 2007-2008 तक या उसके पहले इंडियन पीनल कोड ने इस तरह के एसिड अटैक को क्राइम नहीं माना जाता था। 2011 में जब निर्भया कांड के बाद जस्टिस की अध्यक्षता में रूलिंग हुई और उसके बाद इन विक्टिम्स के बारे में कहा गया। आज उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि जो विक्टिम्स हो गये, वह उनका दुर्भाग्य है, उनका कोई गुनाह नहीं है। आज कोई बेटा, बेटी या कोई व्यक्ति एसिड का विक्टिम होने के बाद जिन परिस्थितियों से वे गुजरते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आज कोई सिरफिरा है, किसी का कुछ नजरिया है, अगर उसने कहीं कोई पहल की और अगर किसी बेटी या बहन ने उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया और वह अपने उस स्वाभिमान, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए इस तरह की घटनाओं की शिकार होती है और इन घटनाओं से शिकार होने के बाद उनकी जो स्थिति बनती है, उस स्थिति पर आज जब हम इस सदन में चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो हमें निश्चित तौर से सोचना होगा कि आखिर इस देश में इस तरह के जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए समाज का नजरिया भी बदल जाता है। हम उस नजरिये को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज विक्टिम ही विक्टिमाइज़ होने लगे हैं। आज वह विक्टिम ही समाज से अलग-थलग हो जाए, उसके रिश्तेदार या सामाजिक जीवन से उसकी एक अलग-थलग जिंदगी हो जाए, वह नौकरी से हाथ धो बैठे, कहीं ऐसी परिस्थितयां हों तो आखिर वह बेटी कैसे जिंदा रह सकती है? जब आज हम पूरी दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए जिस तरीके की चिंता यह सदन कर रहा है, पूरी सोसाइटी कर रही है, उन परिस्थितियों में हमें देखना होगा कि कैसे हम उनकी रक्षा कर सकें। यही नहीं, 18 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न हुआ जिसमें उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके रीहैबिलिटेशन के लिए कहा गया। उन्होंन इस सवाल को उठाया है कि किस तरीके से एसिड खुले आम बिक रहा है। एसिड की सेल के कंट्रोल के लिए जो बात हुई है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज उस फैसले के बावजूद भी एसिड किसी भी व्यक्ति को खुले आम मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिसको भी एसिड की दुकान का लाइसेंस मिलेगा, वह उसका एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा कि किसको किस परपज़ के लिए एसिड बेच रहे हैं। आखिर इसको कौन लागू करेगा? राज्यों में किसी घटना को लेकर जिस तरीके से उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, आखिर कौन सा ऑर्गन है जो उसको रोक सकता है? राज्यों में उस ऑर्गन को, उस तंत्र को मजबूत करना होगा। हर जिले में एसिड बेचने के लिए जिन दुकानों को लाइसेंस मिलते हैं, उनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं एक ऐसे राज्य से आते हैं और आपने इस तरह की घटनाओं को बचपन से देखा है। कब तक यह समाज उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को देखता रहेगा? केवल हम चिंता व्यक्त करते रहेंगे कि हमारी बेटियां, हमारी बहन या हमारा भाई इस तरह के एसिड का शिकार हो जाएं, उसका चेहरा डिशेप हो जाए? अगर उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है तो उसी के शरीर से मांस निकाले जाते हैं। वह कभी-कभी इस तरह से बैडरिडन हो जाते हैं। निश्चित तौर से यह एक ऐसा अवसर है कि हम इस पर चिंता करें। मंत्री जी जब भी रिस्पांड करें तो यह जरूर बताएं कि उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न पर हम आगे कौन सा कदम उठाएंगे? इसकी चिंता केवल भारत ने ही नहीं की है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सैक्रेट्री जनरल कोफी अन्नान ने भी कहा कि - "Violence against women is perhaps the most shameful human rights violation and perhaps the most pervasive."

मतलब कि इसको कोढ़ माना है। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा क्रूएल क्राइम नहीं हो सकता है। इस क्राइम के लोगों को बंग्लादेश में लाइफ इंप्रिज़नमेंट ही नहीं है, बल्कि उनको कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाती है। हम इस तरह के लोगों को हतोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे? अगर एसिड विक्टिम की मौंत नहीं भी होती है तो वह एक तरह से जिंदा लाश ही है। ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए हम कठोर सजा का प्रावधान करें, जिससे दूसरे लोग सबक ले सकें और इस तरह की घटनाएं न हों। मैं समझता हूँ कि इससे प्रभावित जो लोग हैं, आप The Indian journal of Plastic surgery of 2007 इसमें 7 लाख 80 हज़ार बर्न की इंजरी थीं। पहले तो एसिड के जो विकटिम होते थे, इनको बर्न इंजरी भी माना जाता था। इनके लिए पीनल कोड में अलग से न कोई सजा थी और न इनको कोई अपराध माना जाता था। मैं समझता हूँ कि इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। यहां तक कि कार्नल लॉ स्कूल की भी जो रिपोर्ट है, एसिड वॉयलेंस 2012 में भी इस पर चिंता जाहिर की गई है। मैं समझता हूँ इन चीजों को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जो इनको कंपनसेशन का प्रावधान है उस पर ध्यान दिया जातना चाहिए। हम लक्ष्मी के अटैक को देख सकते हैं कि जब Lakshmi was only 16 years old. जिस तरह से एसिड उसके चेहरे फैंका गया और कहां फैंका गया? देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट में फैंका गया। यह सन् 2005 की घटना है। अज भी यादें ताजा हो जाती हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट जैसे इलाके में छोटी बहन लक्ष्मी के चेहरे पर तेजाब फैंका जाता है, तो इससे ज्यादा चिंताजनक बात और क्या हो सकती है?...(व्यवधान) मैं अंत में यही कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसका कंप्लाइयंस किया जाए और इस संबंध में और कठोर दंड बनाया जाए। और जो आज कानून है उसको राज्य सरकार लागू कर सके। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मैं पहले तो किरिट भाई सोलंकी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे यह बिल लाए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती अनुप्रिया पटेल को, जो अपना दल की नेत्री हैं कि उन्होंने इसे अच्छे ढंग से हम लोगों को समझाया। इस समस्या के दो ही कारण हैं। एक तो है एसिड मतलब क्या, अनुप्रिया जी ने बताया कि तीन ही एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल), नाइट्रिक एसिड (एचएनओ3)और सल्फ्यूरिक एसिड (एचट्एसओ4)। कभी-कभी सोना को डिजॉल्व करने के लिए एक्वा

रेजिआ की जरूरत होती है। वह नाइट्रिक एसिड और हाइड्रो क्लोरिक एसिड का मिक्स्चर है। इन तीनों एसिड का क्या इफेक्ट होता है, जब यह आदमी की चमड़ी पर लगता है, पहले तो आँख जाती है, फिर लोगों का पूरा मुँह डिसफिगर्ड हो जाता है। The effect is the same as a burn injury. बर्न में जो होता है, वही एसिड अटैक से होता है। एसिड अटैक क्यों होता है? एसिड अटैक की वजह यह है कि जो विक्टिम है, कभी वह जानती भी नहीं है कि क्यों उस पर एसिड डाला गया। कोई एक लड़की होती है, शायद देखने में अच्छी है, दूर से कोई उसको प्यार करते हैं, लड़की यह जानती भी नहीं है, वह देखती भी नहीं है, अचानक वे आकर उसे एसिड मार देते हैं। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यह तो एसिड अटैक विक्टिम के लिए मरकर जीना है। मैं बहुत ही आभारी हूँ, किरीटभाई सोलंकी जी का, वे स्वयं अहमदाबाद के बहुत अच्छे सर्जन हैं, वे इस समस्या को सामने लाए हैं।

हमारे देश में भी संगठन है, एसिड अटैक सर्वाइवर्स एसोसिएशन है। हमारे कोलकाता में हेमंत कनोरिआ नामक एक बिजनसमैन हैं, उन्होंने बताया कि सारी दुनिया में लंदन बेस्ड इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन है, जो एसिड अटैक को लेकर चर्चा करते हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाये जाएं, वे इसे देखते हैं। एसिड अटैक की संख्या कोई कम नहीं है। वर्ष 2011 में वीमेन विक्टिम की संख्या 98 थी, वर्ष 2012 में 101 थी, वर्ष 2013 में 80 थी, वर्ष 2014 अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसकी फीगर नहीं मिली हैं। मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा घटनाएं हरियाणा में हुई हैं। हरियाणा में वीमेन विक्टिम की संख्या वर्ष 2011 में 10 थी, वर्ष 2012 में 5 थी और वर्ष 2013 में 13 थी। यह महिलाओं पर आक्रमण करने का एक रास्ता है।

महोदय, आपको याद होगा कि दिल्ली में निर्भया पर अत्याचार होने के बाद इस सदन में हम लोगों ने इसके बारे में काफी चर्चा की थी। जस्टिस जे. एस. वर्मा ने एक रिपोर्ट दी, वह बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, जिसके बेस पर महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ एक बहुत कड़ा कानून बनाया गया। लेकिन उसमें एसिड अटैक के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन्स नहीं थे। उसमें यह मेंशन था कि कोरोसिव सब्सटेंस इस्तेमाल होने पर क्या करेंगे? किरिट भाई सोलंकी जी के बिल में तीन भाग हैं। एक यह है कि कैसे एसिड की सेल को कन्ट्रोल किया जा सकता है? एसिड रखने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। तेजाब बेचते समय उसका पूरा रिकार्ड होना चाहिए। तेजाब की जरूरत आम जनता को नहीं होती है। तेजाब को दो ही कामों में इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल की प्रयोगशाला में या कालेज की प्रयोगशाला में या सोने का काम करने वाले ज्वैलर्स इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि सोना बहुत हार्ड मैटीरियल है। मैं समझता हूं कि कड़े कानून से एसिड का सेल कंट्रोल किया जा सकता है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हाउस में माननीय सदस्यों की संख्या बहुत कम है, इसलिए दो-चार बातें बोलना चाहता हूं। डॉ. सोलंकी ने बताया है कि जिस पर एसिड अटैक होता है, उसके इलाज का पूरा खर्चा केंद्रीय सरकार देगी, इसके लिए अलग फंड बनाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो एसिड विकटिम है, उन्हें हैंडीकैप के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। जैसे डिसेबल्ड लोगों के लिए आरक्षण रखते हैं या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही इन्हें भी दी जाएंगी। महोदय, यह बहुत घिनौना अपराध है। मैं तो इसके बारे में सुन भी नहीं सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छा होगा कि जनता अपने हाथ में कानून ले और मुजरिम को पकड़ कर सज़ा दे। मैं सदन में खड़ा हो कर लोगों को नहीं कह सकता कि वे कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन अपराधी इसी के लायक हैं।

एसिड अटैक के बारे में अगर कहा जाए तो इंसान जानवरों से भी घटिया काम करते हैं। एसिड अटैक से एक लड़की के चेहरे को पूरा खराब कर दिया जाता है। मैं सोच ही नहीं सकता कि कैसे एक व्यक्ति प्लान करके एसिड खरीदते हैं, कहीं खड़े हो कर लड़की का इंतजार करते हैं और नज़दीक आ कर लड़की के मुंह पर तेजाब फेंक देते हैं। यह बहुत ही खराब, घटिया, नीच बात है। ऐसा हमारे देश में होता है, जहां हम महिलाओं का सम्मान करने की बात कहते हैं। हम कहते हैं - जयन्ती ,मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा, काली सभी हमारी देवी माँ हैं। हम कहते हैं कि Bidushi, Moitrayee, Khana, Lilabati, Soti-Savitri, Konnya, Arundhuti, Bohubirobala, Briendraprasuti, amra taderi sontoti. इतनी बड़ी-बड़ी महिला हस्तियां हमारे देश में पैदा हुई हैं और उन्हीं महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मैंने अमेंडमेंट तो नहीं दिया, लेकिन सोलंकी साहब ने कहा है कि आईपीसी में अमेंडमेंट करके एसिड अटैक के लिए आजीवन कारावास होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए मृत्यु दंड होना चाहिए। इस अपराध से बचने का किसी तरह का भी कोई अधिकार कानून में नहीं होना चाहिए, जो एक लड़की को बर्बाद कर देता है। Nobody shall be deprived of his life and liberty without the due process of law. यही तो हमारे संविधान में लिखा है। ऐसे अपराध के लिए फांसी होनी चाहिए। हम कड़े कानून बनाते हैं, जिससे कि लोग अपराध करते समय डर जाएं और अपराध न करें। हमने रेप के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। फिर भी दिल्ली शहर में एक टैक्सी ड्राइवर ने एक शिक्षित महिला का रेप किया। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए, जिससे कि लोग अपराध करते समय डरें।

मैं एक बार किसी जेबकतरे से मिला। उसने कहा कि मैंने पाकेटमारी छोड़ दी है। मैंने उससे इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि एक बार उसके सामने एक पाकेटमार को लोगों की भीड़ ने पीटा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने कहा कि मुझे ऐसे नहीं मरना है, इसलिए उसने यह काम छोड़ दिया। लोगों के मन में डर आना चाहिए कि जो एसिड अटैक करते हैं, ऐसे अपराध की कोई माफी नहीं होगी।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय : आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एसिड अटैक के विकटिम्स के पक्ष में हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए और किरीट जी को बधाई दें।

माननीय सभापति : अच्छी हिंदी बोलने के लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.00 hrs.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय सभापति जी, मैं डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा जो एसिड (नियंत्रण) विधेयक लाया गया है, इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करती हूं।

महोदय, हमारे यहां तेजाब काफी समय से महिलाओं पर हमले का आसान हथियार बन चुका है। देश भर में हर साल इस तरह की करीब एक हजार घटनाएं होती हैं। लड़कियों पर तेजाब फेंकना लगातार जारी है, जिससे आज भी कई महिलाएं पीड़ित हैं।

मेरी साथी सदस्या अनुप्रिया जी ने भी कहा और अन्य सम्मानित सांसदों ने भी अभी कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण करने और तेजाब की सुलभ उपलब्धता को कम करने के लिए रिट याचिका संख्या 129/2006, लक्ष्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप दिनांक 30 अगस्त, 2013 को लोगों पर तेजाब से हमले को रोकने और बच जाने वाले पीड़ितों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में हाल ही में एक परामर्शी पत्र जारी किया है। विभिन्न इलाकों में अब तक दो सौ से ज्यादा ट्रेडर्स के यहां छापेमारी हुई है। गाइडलाइन के मुताबिक सरकार एसिड ट्रेड को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं इस एसिड अटैक के मामले में मुआवज़ा दिए जाने के कई मामले आज भी लम्बित पड़े हैं।

एसिड के प्रयोग पर एसिड के हमलों की चर्चा नहीं की गयी है। इस अटैक में जो लोग बच गए हैं, उनकी उम्र ग्यारह वर्ष से 45 वर्ष के करीब है। पिछले पन्द्रह वर्षों में इसके हमले दो सौ तक रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें 76 घायल महिलाओं की उम्र 21 से 30 वर्ष की है। जो घायल हैं, उनमें 70.2औ महिलाएं हैं। इससे प्रतीत होता है कि हमारा लॉ एण्ड ऑर्डर महिलाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं है।

माननीय सभापति जी, तेजाबी हमले से घायल महिलाओं का जीना मुहाल हो जाता है। वे समाज के कट कर जिन्दगी काटने को मजबूर हो जाती हैं। एसिड पीड़िता के साथ हमारा यह समाज ऐसा व्यवहार करता है मानो वह अपराधी हो। इसका परिणाम होता है कि दुःख, चिंता व हीन भावना के कारण वह अवसाद में डूब जाती है। हमारे समाज की यह विडम्बना है कि एसिड पीड़ित से सहमति जताने के बजाए हम सभी उनको एक अपराधी की तरह देखते हैं, जबकि इस सब में उनका कोई हाथ नहीं होता। दिल्ली लीगल सर्विस स्कीम के मुताबिक जिनका फेस तेजाबी हमले से जल गया हो, उन्हें तीन से सात लाख रुपये, जो पचास प्रतिशत तक जल गए हों, उन्हें पांच से सात लाख रुपये, और तीन से पांच लाख रुपये उन पीड़िताओं को दिए जाते हैं जो पचास प्रतिशत से कम जली हो। इस बढ़ती महंगाई और प्लास्टिक सर्जरी पर होने वाला खर्च इससे भी कहीं ज्यादा पड़ जाता है। इस मुआवज़े में इज़ाफा किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित की देखरेख व उसका इलाज़ अच्छे से हो सके।

पिछले साल 18 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत ने केन्द्र और सभी राज्य सरकारों को तेजाबी हमले की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए नियम और कानून बनाने का आदेश दिया था। इस आदेश को आए एक साल से भी ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक ज्यादातर राज्य सरकारों ने इसे माना नहीं है। राज्य सरकारों को चाहिए कि तेजाब पीड़ितों को मुफ्त इलाज़ से लेकर उनका मनोवैज्ञानिक उपचार करें और उन्हें नौकरियों में भी प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें तेजाब पीड़ितों के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। पीड़िताओं के प्रति सरकार और समाज, दोनों को मानवीय रूप अपनाना चाहिए।

सभापति जी, मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। (1) एसिड पीड़ित को पूरा न्यायिक सपोर्ट देना चाहिए। (2) हमला पीड़ितों के प्रति पुनर्वास नीति बनानी चाहिए। (3) पीड़िताओं के लिए मुफ्त इलाज़ की व्यवस्था की जानी जरूरी है। (4) जहां कहीं पर, जैसे अभी कहा कि अस्पताल आदि में एसिड का इस्तेमाल होता है, वहां पर उसकी निगरानी की जानी चाहिए। (5) तेजाब पीड़िता को मनोवैज्ञानिक उपचार और जैसा मैंने अभी कहा कि उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। तेजाब की सुलभ बिक्री और उपलबधता पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। तेजाबी हमलों के शीघ्र न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए जाने चाहिए।

सभापति जी, मैं दरख्वास्त करती हूं कि "क्रिमिनल इंज्यूरिज कॉम्पेनसेशन एक्ट नामक लॉ" बनाया जाए, इस विधेयक को पारित किया जाए जिससे इससे पीड़ित कई महिलाओं को न्याय मिलेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैं सबसे डॉ. किरीटभाई को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मैं किसी भी बात को रिपीट नहीं करूंगा जो इस सदन में आ गयी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हत्यायें चाहे कोई व्यक्ति करे या कोई आतंकवादी संगठन करे, देश में जब गिनती की जाएगी, तो उनकी संख्या ज्यादा होगी, जबकि यह संख्या बहुत मामूली है, एक साल में सौ। जब हत्या होती है तो कोई व्यक्ति मरता है। जब किसी के ऊपर एसिड गिरता है तो पूरा जीवन वह तिल-तिल कर मरता है और उसका परिवार भी उसके साथ भोगता है। इससे कहीं ज्यादा जो गंभीर बात है, सौगत राय जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो ये हमारी वीभत्स प्रवृत्ति और क्रूरता है, जिसके चलते-फिरते आइने हैं। अगर सौ लोग भी एक साल में इसके शिकार होते हैं, समाज के सामने हमारी बहन-बेटी या जो भी हो, उसके साथ अपराधियों की तरह बर्ताव होता है। यह वीभत्स और कुरूप सामाजिक मनोरोग का जीवंत प्रमाण है। मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा, चूंकि राज्य का विषय मानकर इसे राज्य पर छोड़ दिया गया। केन्द्र इस पर सीधे कानून नहीं बना सकता है। इसके दो हिस्से किए जा सकते हैं। एसिड के रख-रखाव पर जो व्यवस्थायें देनी हैं, उसे राज्य सरकार सुनिश्चित करे। सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है। चिकित्सीय आधार पर हमसे ज्यादा अनुभव रखने वाले डॉ किरीट हैं, उन्होंने अपनी बात ईमानदारी के साथ कही है। कम से कम इस बात का भारत सरकार को जरूर मूल्यांकन करना चाहिए, कानून हो या न हो, कि अगर साल में सौ पीड़ित हैं, तो उनके इलाज का पूरा प्रबंध भारत सरकार कर सकती है। किसी ने इसकी अगुआई की हो या न की हो। कोई भी घटना अगर हमारे सामने आती है, राज्य सरकार उसमें पहल करे या न करे, अगर कहीं हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी तो शायद उसके पुनर्वास का रास्ता निकल सकता है, वरना वे पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, उनको न्याय मिलने वाला नहीं है।

मैं दो-तीन बातें कहूंगा। मैंने जो वीभत्स चेहरे की बात कही है, यह संस्कारों का परिणाम जिसको हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर लें, कानून इसका रास्ता नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मैं मानता हूं कि आज हमारे पास में कुछ नहीं है, लेकिन कोई एक केन्द्र जरूर होना चाहिए। या तो आप पैसा दें या उसके उपचार की गारन्टी दें कि इस जगह पर जाएंगे तो आपको उसका उपचार मिलेगा। असेसमेंट करने का काम चिकित्सक कर सकते हैं।

पीड़ित की श्रेणी, जो भी इससे प्रभावित होता है, बिना इसकी परवाह किये हुए अगर हम उनको विकलांगता की श्रेणी में लाकर रख देंगे, तो शायद रीहैबिलिटेशन में उनको ज्यादा मदद मिल सकती है। मैं रीहैबिलिटेशन के पक्ष की बात कर रहा हूँ। जो हमारे स्थापित कानून हैं, मैं बांग्लादेश का उदाहरण देकर किसी कानून की सिफारिश करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह सच है कि जो हमारे ऊपर दाग है, अगर उसे दूर करना है तो इसके बारे में हमें कोई सख्त तरीका अपनाना पड़ेगा। राज्य सरकारें अगर नहीं मानती हैं और उसके अलावा उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती है, जो हमारी बहन ने सुझाव दिया है कि फास्ट ट्रैक कम से कम इतने मामलों में तो बन सकते हैं, यह कोई बड़ी संख्या नहीं है। इसकी समय-सीमा भारत सरकार तय कर सकती है।

तीसरी बात आती है कि जो विक्रय है, उसके तरीके पर जरूर जो विचार आये हैं, उनका अनुपालन राज्य सरकारें कड़ाई के साथ करें, अन्यथा कोई नया अध्यादेश भारत सरकार को लाना चाहिए। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, राज्य उसे कितना मानते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में न जाकर, क्योंकि, हम फेडरल स्टेट को मानने वाले लोग हैं। सामाजिक बहिष्कार को इस देश में स्वीकार नहीं किया जाता, वरना ऐसी घटनाओं पर वह बड़ा कारगर तरीका था। सौगत राज जी तो उससे आगे जाने की बात कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। इसके कम से कम दो हिस्से हो सकते हैं, जो मैंने अभी अपनी बात कही है। रख-रखाव के नियम, नीति, न्यायालय विषय राज्यों के ऊपर भले ही छोड़ दिये जाएं, लेकिन कम से कम पीड़ित की श्रेणी, जो विकलांगता हो, जो उसे मुआवजा देने का तरीका है, वह भारत सरकार अपने हाथ में ले सकती है और उसके पुनर्वास का रास्ता तय कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये आन्दोलन करने के लिए जंतर-मंतर पर नहीं जाएंगे।

जो आंकड़ा सौगत राय जी बता रहे थे, वह इस साल 100 के भीतर है। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार इसका रास्ता नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है कि यह वीभत्स चेहरा एक सुन्दर स्वरूप ले सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस सरकार के रहते यह सुन्दर चेहरा समाज और दुनिया के सामने आयेगा।

मैं किरिट भाई को फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra – Not present.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to support the Acid (Control) Bill that has been moved by Dr. Kirit Premjibhai Solanki Ji.

Here, I would like to mention that acid attack is one of the most abominable acts of violence against women. There can be no two opinions about how the perpetrators of this heinous crime should be treated. Acid attack is nothing but an attempt to murder, and it is done to inflict grievous injury. Countries like Bangladesh, where acid attackers face death penalty, have shown that strict laws do act as a deterrent. However, for acid attack victims, whose life has been devastated, disfigured and maimed both physically and psychologically, true justice also includes suitable compensation. Here, I would just like to read the news about two incidents.

"Preeti Rathi, our eldest child, was quiet, unassuming and hard working. She was good in studies and extra curricular activities. Her dream was to get a good Government job. So, when the appointment letter from the Ministry of Defence reached us on March, 28, in 2013, Preeti was thrilled. We were excited. Of the 15,000 applicants for the job, only 500 were selected. It was a big achievement for Preeti. The letter said that Preeti had been selected for Short Service Commission in the military nursing service and that she must report to the Commandant of the naval hospital, Asvini in Colaba, Mumbai on May 15. In the last week of April, Preeti received a letter from INHS, Asvini. Please read the letter below."

What happened? When she was going in the platform to board the train, an unidentified and unknown person threw acid on her. Repeatedly, she asked this question till her death. She was just asking, 'why?'. That question is still reverberating whenever somebody thinks about that girl child of that poor family. Why was she attacked? She was not known to the person who threw that acid on her. She had no connection with that person.

Wherever we come across such incidents that are occurring throughout this country, at least there is some one-sided love affair or somebody wants to take revenge on someone or somebody is not pleased with the behaviour of someone, then there is acid attack. But here is a case where she had been attacked by an unknown person who has been apprehended because the CCTV camera was there in the railway station. At least, that fellow was identified. He has been prosecuted.

The prosecution should be done as has been mentioned by our learned friend. One thing which I appreciate very much, other than what other Members have already spoken, is that in clause 9, he says, "In all trials for offences under this Act, the Magistrate shall follow the procedure prescribed in the code of criminal procedure 1973 for the trial of summary cases." It should not take long. It should be a summary trial. With a definite timeframe, the prosecution should take place and conviction should also be announced.

I think there is a need--and I would suggest here--to also go into the Evidence Act. In the Evidence Act, I think there is a need to bring in some provision. I think the mover of this Bill will respond to my query. In the Evidence Act, there is a need also to make a little bit of correction relating to acid attack. Some provision also needs to be taken cognizance when we talk about acid attack because ultimately it is the evidence which

will follow for prosecution and conviction.

When this Bill was listed for discussion, some lady Members of our House asked me, "Who are the victims of acid attacks?" I would say that 99 per cent are women. Hardly any male person is a victim.

In that respect I would say that it is high time, when a grievous incident of this nature is occurring and is becoming rampant, first is to control the availability of acid and second, whoever is purchasing or utilizing it, its purpose and record should be maintained. Once this incident occurs, immediately, who has sold it, who has bought it, both the things can be verified as quickly as possible so that the culprit can be apprehended and summary trial also can be done.

I would also agree with what Prof. Saugata Roy just now mentioned. This is a heinous crime and should be punishable by death penalty. As law makers, all of us know that by framing law or by making law, you do not curtail crime but this has happened in Bangladesh.

We have two types of jurisprudence prevalent in our country. One is French jurisprudence by which the dowry law is maintained. The second is British Jurisprudence that until and unless someone is proved guilty, he cannot be pronounced a guilty person. But, in that respect, I would say that death should be the penalty for culprits, who are indulging in this type of grievous incidents.

*m10

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। एसिड कंट्रोल एक्ट, 2014 कुछ ऐसे नियम बना रहा है जो किसी और स्थिति में उपलब्ध है। कोई पीआईएल के माध्यम से, गृह मंत्रालय की एडवाइज़री के माध्यम से बना रहा है। लेकिन यह एक अनिवार्य कार्य के रूप में मुझे दिखाई देता है। एसिड अटैक एक बहुत ही सीरियस विषय है, खास तौर पर सिविल सोसाइटी और बहुत सारे देशों में इसके लिए कई कानून बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बंगलादेश जैसा देश जहां सबसे अधिक अटैक होते हैं, उसके बाद कम्बोडिया, नाइजीरिया, जमाइका और पाकिस्तान आदि ऐसे देश हैं जहां एसिड अटैक बहुत ज्यादा होते हैं।

17.19 hrs. (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन मामलों में डैथ पैनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि मैंने उन बच्चियों, महिलाओं को बहुत नजदीक से देखा है जिनकी शक्ल न केवल बिगाड़ दी जाती है बल्कि लाइफ अफैक्टिंग मकैनिज़्म, जैसे सांस लेने के लिए नाक का न होना, उसे पूरी तरह से गला देना। निर्भया कांड के बाद इसी संसद द्वारा कानून में बदलाव लाया गया कि लाइफ ऑल्टरिंग सरकमस्टांसेज़ जहां पाया जाएगा, वहां डैथ पैनल्टी होगी कि रेप हुआ और उसके बाद महिला की अंतड़ी निकाल दी गई, हाथ काट दिए, पांव काट दिए। ऐसे तमाम कामों में डैथ पैनल्टी का प्रोविजन होगा क्योंकि आप किसी के जीवन की स्थिति बिगाड़ देते हैं कि वापिस उसकी लाइफ नार्मल रैस्टोर नहीं कर पाते। इसलिए मुझे लगता है कि डैथ पैनल्टी के बारे में अनिवार्यता के रूप में संसद को विचार करना चाहिए। साथ ही यह बिल एक कदम आगे है क्योंकि इस हादसे के बाद क्या हो, उससे हटकर यह सोच है कि हादसा होने से पहले कैसे रोका जाए। It is like nipping the problem in the bud by stopping the sale of acid itself before there is a chance for a perpetrator to buy it without restriction for a victim to suffer from the consequences of such deranged behaviour.

The preventive steps before the commission of the crime जो बिल के प्रावधान हैं, उसमें एक कंट्रोलर ऑफ एसिड का अपॉइन्टमेंट है, जो एसिड की खरीद-फरोख्त है, उसको केन्द्रीकृत तरीके से देखा जाए, केन्द्र सरकार उसको बैन भी कर सकती है, जो अनऑथराइज्ड तरीके से एसिड या ऐसा खतरनाक पदार्थ बेच रहा हो। ऑथराइज्ड डीलर वह व्यक्ति होगा, जिसको मेंशन किया जाए कि ऑथरिटी क्या है, कानून के तहत उसके पास पूर्व ऑथराइजेशन है या नहीं? पैनल्टी उसमें तीन साल की हो और कम से कम पचास हजार रुपये का फाइन हो, या दोनों हो।

As regards presumption of possession, the assumption that there will be an accused that has committed an offence unless proven otherwise. हिन्दुस्तान में रेप केसेज में लॉ ऑफ प्रिजम्प्शन का इस्तेमाल होता है। अगर मेडिकल एविडेंस उपलब्ध नहीं है, तब भी दूसरे व्यक्ति को बताना होगा कि ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ है, या प्रिजम्प्शन अपराधी के खिलाफ तय हो कि उसके पास से अनऑथराइज्ड तरीके से एसिड का पोजेशन पाया गया है, यह जिम्मेवारी भी उसी व्यक्ति की है।

इसी तरीके से vexatious search and seizure, any officer going beyond the necessary bounds for search and seizure of acid can be fined up to Rs. 20,000. This will not be an impediment in officers remaining alert to any offence under the Act and in preventing attacks on mere suspicion.

Section 166 of the IPC provides that any public or private hospital, which denies treatment to victims can be penalised and the penalty is up to 1 year, and that invocation must happen. Acid attack is described in Section 326 A, and punishment is up to 10 years. Here, when we are looking at amendments to this particular section, the imprisonment could also be increased to death penalty in case it is a life-altering event. I believe that multiplicity of laws need to be avoided, and the provisions should be brought at one single place.

Sir, I will request a little more time because certain suggestions need to be made, and the suggestions are in the nature of practical aspects. As my learned friend said that law is one aspect, which we, as Parliamentarians, can pass, but it is the implementation that brings change in a social set-up. The basic problem with acid attack victims is that their body is so badly disfigured that they have to undergo multiple surgeries. So, the hospitals need to be sensitized. Further, there are no skin banks in India. So, we need to work on skin banks, and this should be an instruction to the Ministry of Health that we need to work on skin banks for grafting processes.

The other suggestion, which I very sincerely wish to make is that the compensation amount, which was said to be up to Rs. 3 lakh be increased up to Rs. 10 lakh because the grafting processes and rehab processes cost a lot of money. The burden should be shifted on to the State Governments also because I have seen cases coming from Bihar, West Bengal and several other States where even when the girls are coming for treatment to a place like Safdarjung Hospital --because that is the only hospital, which is treating burn cases in Delhi -- they do not give accommodation. Those girls are mostly coming from very impoverished and poor homes. The State homes are not giving them AC facility, and they need to be placed in AC atmosphere while they are undergoing treatment. Perhaps, this instruction could be passed on to the States.

Sir, just one line more, and I must put this forth. I would like to mention about pressure garments. Pressure garments are garments, which

these girls need to wear during their disfigurement treatment. These pressure garments come from outside the country, and there is a very heavy Excise and Customs Duty on these garments.

The Government must look at that aspect also. From graft to pressure garment, increasing the compensation and setting up of the Boards is something I would recommend. Thank you.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। मैं उन सुझावों की ओर न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस देश में स्कूलों में संस्कारित करने वाली शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया और कहा गया कि ऐसी शिक्षा देना साप्रदायिकता है। जब हम चौथी-पांचवीं क्लास, यानी मिडल क्लास तक पढ़ते थे तब रहीम, रसखान, कबीर के दोहे, जो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते थे, संस्कार देते थे, उसे मानवीयता के गुणों से परिपूर्ण करता था, उन सबको छोड़ दिया गया। अब ऐसा पढ़ाया जाने लगा है, जिससे उसके हृदय में मानवीयता नहीं रहती। समाज को केवल भौतिकता और भौतिकवाद की ओर मोड़ने का काम हुआ है। ऐसे उपद्रव या आक्रमण इसलिए होते हैं, क्योंकि उसके हृदय में मानवता नहीं है, मानवीयता नहीं है। ऐसे लोगों में मानवीयता और मानवीय गुण कैसे आयें, यह हमें देखना होगा। एक, इसके लिए शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस तरह के अपराध करने वाले लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। वे मनुष्य कभी नहीं हो सकते। उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति ही बिगड़ जाती है। ऐसे लोगों को सजा के द्वारा ही सही किया जा सकता है। बिना दंड के भय से समाज रुकता भी नहीं है। साम, दाम, दंड विभेदा। यह जो दंड का प्रावधान है, उसे भी सख्त किया जाना चाहिए। इस तरह के अपराध करने वालों को आजीवन कारावास दिया जाये या मृत्यु दंड दिया जाये। उसके साथ-साथ ऐसे अपराध करने वाले की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाये और पीड़ित के इलाज में जो भी खर्च हो, वह उससे वसूल किया। तीसरी बात यह है कि सरकार किस बात के लिए है, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी एक पर जिम्मेदारी न देते हुए यह करना चाहिए कि पीड़ित के इलाज में जो भी खर्च हो, उसे सरकार खुद उठाये।

अंत में, मैं कहूंगा चाहूंगा कि तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण हो और प्रतिबंध लगे। उस पर ठीक से कोई कानून बने जिससे लोग तेजाब न ले जा सकें। अगर कोई तेजाब ले भी जाये, तो दुकान पर उसका पता रहना चाहिए, जिससे मौका लगने पर उसे खोजा भी जा सके। अगर हम इस तरह के प्रोविजन्स करेंगे तो एसिड अटैक को रोका जा सकता है।

महिलाओं के संबंध में भारतीय संस्कृति की एक परम्परा रही है। हम उनकी पूजा, आराधना करते हैं, उसके बावजूद भी यह अपराध हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, आचार-विचार, व्यवहार या हमारी पूर्वजों द्वारा जो परम्परा बनायी गयी है, उसमें मेरी आस्था नहीं है। भारत में अपराध बढ़ने का एक और कारण है कि हिन्दुस्तान में जब से भारतीय संस्कार में कमी आने लगी है और हम पाश्चात्य संस्कार के कारण भौतिकवादी होने लगे हैं तब से हमारी इस भौतिकवादी मनोवृत्ति ने समाज को विकृत किया है। इस भौतिकवादी मनोवृत्ति से समाज को निकाला जाये और बचपन से ही बच्चे को संस्कारित किया जाये। उसे शिक्षा भी इस तरह से दी जाये, जिससे उसके संस्कार बनें। वह मानव को मानव समझे, उसके हृदय में मानवीयता आये, आध्यात्मिक गुण आये, आत्मा का बोध आये। इससे उसका चरित्र बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी। इन सबको अगर हम समग्रता से सोचेंगे तो कोई निदान निकाल सकता हैं। धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत ही गंभीर विषय पर बहस चल रही है। सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को सदन के पटल पर रखा है। वे बहुत अच्छा प्राइवेट मैम्बर बिल लेकर आये हैं। यहां पर माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं देख रहा हूं कि उन्हें माननीय सदस्यों से जो सजेशन्स मिल रहे हैं, उन्हें वे नोट भी कर रहे हैं।

हमारे देश में औरत को देवी माना गया है। हमारे देश में औरतों के सम्मान को लेकर बहुत बड़ी बातें होती हैं लेकिन ये सब सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाती हैं। सरकारी बसों पर लिखा रहता है - दुल्हन ही दहेज है। मेरे ख्याल में सिर्फ इतना लिखने से दहेज की समस्या सॉल्व नहीं होगी। दीवारों पर लिखने से काम नहीं होगा, चर्चा करने से काम नहीं होगा, यह काम तभी होगा जब इस पर अमल किया जाएगा। ये बातें सिर्फ डिबेट तक न रह जाएं, सिर्फ चर्चा तक सीमित न रह जाएं इसलिए इसके लिए प्रावधान करना होगा। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलने की भी जरूरत है। एक लड़की ने अगर शादी से मना कर दिया या वन साइडिड लव हो गया, तो घटना हो जाती है। पंजाब में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मुझे याद है आज से छः-सात साल पहले की बात है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की दो लड़कियां रिक्शा में शॉपिंग करके जा रही थीं, अगले दिन एक की शादी थी। जो लड़का उससे शादी करना चाहता था, मोटरसाईकिल पर आया और दोनों बहनों पर तेज़ाब फेंक दिया। अगले दिन जब मैंने अखबार पढ़ा तो मैं अमृतसर के अस्पताल में गया। मैंने उस लड़की की जो हालत देखी थी, उसे मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैं सदन के माध्यम से उस लड़के को जरूर बधाई देना चाहता हूं जिसकी उस लड़की से शादी होनी थी, वह लड़का मना भी कर सकता था लेकिन उसने कहा कि अगर एक दिन बाद अटैक होता तब यह मेरी वाइफ होती और उस लड़के ने अस्तपाल के बैड पर उस लड़की से शादी की।

अभी मुरैंडा अटैक हुआ था। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह लड़की का स्टेटमेंट जरूर पढ़ें जो मेरे पास है। इसमें सज़ा बहुत कम मिली है। तेज़ाब अटैक से लड़की की दोनों आंखें चली गईं। उस लड़की ने कहा है- यह तो दो-चार साल बाद बाहर आकर अपनी जिंदगी जी लेगा लेकिन मैं तो हर रोज मर रही हूं। मेरा कहना है कि हत्या में तो मौत हो जाती है लेकिन तेज़ाब अटैक में हर रोज मौत होती है। यह बहुत ही घिनौना जुर्म है इसलिए इसे मर्डर के बराबर मानना चाहिए। इसका मुआवजा मर्डर के बराबर मानना

चाहिए। औरत को खूबसूरती भगवान ने दी है, एसिड अटैक से खूबसूरती बिगड़ने पर भले ही महिलाएं जिंदा रहती हों लेकिन मानसिक तौर पर उनकी मौत हो जाती है। मैं राजनीतिक और पार्टी लैवल से ऊपर उठकर इस बिल का स्वागत करता हूं। हम सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं हैं, हम आपकी तारीफ भी करेंगे अगर आप ऐसे काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि महिलाओं की रक्षा के लिए इस बिल को पास करें और सख्त से सख्त कानून बनाएं। धन्यवाद।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं डॉ. किरीट पी. सोलंकी द्वारा लाए गए एसिड विधेयक, 2014 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक निश्चित तौर पर विचार योग्य है। एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के अलावा अन्य लोगों पर एसिड फेंका जाता है जिससे जीवन बहुत कठिन हो जाता है। मैं इस विषय पर सदन में कहना चाहता हूं कि ऐसे विषैले पदार्थ बिक रहे हैं जिसे खाकर बालिकाएं और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। एसिड के साथ इस तरह के पदार्थों को रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात कहकर नहीं टाली जा सकती कि यह सब राज्य सरकार के अधीन है। इस पर निश्चित तौर से कड़ाई की जानी चाहिए। सभी सदस्यों की राय है कि पीड़ित के इलाज की

नःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी महिलाओं, बालिकाओं और लोगों के लिए हर जिले में केयर होम की व्यवस्था की जानी चाहिए जिनको घर से बाहर कर दिया जाता है और वे गरीबी के कारण अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं, इलाज भी नहीं करा सकते हैं।

हर जिले में उनको रखकर, उनका इलाज और उनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था हो, ऐसा मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ। दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि ऐसी घटनाएँ डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास ज्यादा होती हैं। वहाँ पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही वहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरे आवश्यकतानुसार लगाये जाने चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती है। कुछ लोग तेज़ाब फेंककर भाग जाते हैं और उनको पहचाना भी नहीं जाता है। इसलिए उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं समझता हूं, जैसा कि सभी सदस्यों ने अपनी राय दी है, इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। यह हत्या से भी बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए कड़े कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद।

)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक मानवीय मूल्य पर हो रही चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पूर्व के माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ अपने को संबद्ध करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। माननीय सदस्य डा. किरिट पी. सोलंकी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण निजी विधेयक लाया है। एसिड अटैक जिस व्यक्ति पर हो जाता है, चाहे वह बाला हो या बालक हो, उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। वह व्यक्ति न जीता है, न मरता है। वह घुट-घुटकर जीता है। इसमें सरकार को पहल करनी होगी। चूंकि अभी तक जो प्रावधान संविधान में हैं, उसमें आई.पी.सी. की धारा 326 के तहत मुक्दमा चलाया जाता है। यह धारा एसिड अटैक के पीड़ित को उचित न्याय दिलाने में असमर्थ है। इसके अलावा इस धारा के तहत कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं होने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। जब तक इलाज होता है, उसके पहले ही अपराधी छूटकर चले जाते हैं। एसिड अटैक से पीड़ित ज्यादातर महिलाएँ होती हैं, जो स्वयं अबला हैं। जब हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो हम माँ दुर्गा की अराधना करते हैं, जब हमें धन की जरूरत पड़ती है तो हम माँ लक्ष्मी की अराधना करते हैं और जब विद्या की जरूरत होती है तो हम माँ सरस्वती की अराधना करते हैं। लेकिन व्यवहारिकता में क्या है, प्रत्येक महिला के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसमें सर्वाधिक दुखद घटना इस एसिड अटैक के माध्यम से होती है। हमारे बिहार में सीवान के हरिहांस की एक घटना के बारे में मैं बताना चाहूंगा। यह घटना पाँच माह पहले हुई थी। वह बच्ची नहीं जानती थी कि कौन उससे प्यार करता है। लेकिन नज़दीक आकर उस पर एसिड फेंक दिया गया। मैंने वहाँ के समाहर्ता से अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम कुछ दे सकें। मैंने उस बच्ची को लाकर सफ़दरजंग अस्पताल में इलाज करवाया। कुछ पैसे अपने पास से खर्च किये, लाख प्रयास के बाद उसकी एक आँख चली गयी। वह कुरुपता देखकर, उसका डरावना चेहरा देखकर हम लोग काफी द्रवित हो जाते हैं। मैं श्री किरिट पी. सोलंकी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसी घटनाएँ रोकी जाएं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. किरिट पी. सोलंकी जी द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो वर्ष पूर्व हुए निर्भया काण्ड के पश्चात् आज भी देश में एसिड अटैक हो रहे हैं तो यह बड़े शर्म की बात है। बच्चियों और महिलाओं पर एसिड अटैक्स के कई रूप हैं। कई बार कोई मेरी बेटी असफल प्रेमी के कारण इसका शिकार बनती है, कई बार कोई मेरी बहन असफल पति के कारण इसका शिकार बनती है, कई बार कई मेरी माताएं, बहनें या बेटियां किसी मनचले की हरकतों की वजह से एसिड अटैक का शिकार बनती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के घिनौने अटैक्स रोकने के लिए हमें टू टाइप्स ऑफ प्रोलांग्ड स्ट्रैट्जी बनानी होगी। एक, क्राइम से पहले देश में इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस न कर सके। कई बार जब इसे किसी असफल प्रेमी का कायरतापूर्ण कार्य कहा जाता है तो इसके बारे में किसी ने सच कहा है - कल तक जो शख्स में मेरी पनाह में था, गिरफ्तार अगले दिन मेरे कत्ल के जुर्म में था। इस प्रकार के लोग जो दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन आस्तीन का सांप निकलते हैं और किसी के जीवन में इस प्रकार का ज़हर घोल जाते हैं कि सारा जीवन वह उसका शिकार रहती है। कई बार यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जीता है, वह सोचना का विषय है। इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। हर जिले में इस प्रकार के केसेज होने पर वहां उपचार के लिए कोई न कोई सेंटर बनाया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): उपाध्यक्ष महोदय, आज किरीट भाई सोलंकी एसिड कंट्रोल बिल लाए हैं। किरीट भाई एक डाक्टर हैं। महिलाओं पर तेजाब फेंकने की जो बात है, उसके बारे में उन्होंने चिंता जताई है। साथ ही अनेक माननीय सदस्यों डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री राजेश रंजन, श्री अधीर चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सौगत राय, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री प्रह्लाद भाई पटेल, श्री बी. महताब, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री हुक्मदेव नारायण यादव, श्री भगवंत मान, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री ओम प्रकाश यादव एवं श्री रत्न लाल कटारिया ने तेजाब हमले के बारे में जो बातें कहीं और सुझाव दिए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं भी मानता हूं कि एसिड हमला महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे जघन्य रुपों में से एक है। घटना से पीड़ित महिला के शरीर पर न केवल जख्म का निशान बना रहता है, बल्कि उसे अपने मस्तिष्क पर हुए दीर्घकालिक जख्म की यंत्रणा भी भोगनी पड़ती है। इन घटनाओं को किसी भी कीमत पर रोकना, भारत सरकार का संकल्प है। इस मुद्दे का समाधान करने की दृष्टि से एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए, गृह मंत्रालय ने न केवल एसिड का स्टॉक रखे जाने और उनकी बिक्री पर नियंत्रण करने, बल्कि अभियुक्त को दंड दिए जाने के साथ-साथ, पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। माननीय उच्चतम-न्यायालय के निदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा " विषों का कब्जा और बिक्री संबंधी आदर्श नियम 2013" शीर्षक से एक मसविदा विधान तैयार किया गया है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है, जिसके आधार पर अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस बारे में अपने नियम बना लिए हैं। इस विधान में न केवल एसिड का कारोबार करने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था की गई है, बल्कि इसमें एसिड की खरीद किए जाने, उनका स्टॉक रखे जाने तथा थोक और खुदरा दोनों तरह की बिक्री किए जाने पर कड़ी शर्तें लगाए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यापक विधान का आशय, एसिड के उत्पादन के स्रोत से उनके प्रयोग के अंतिम बिन्दु तक एसिड के उत्पादन और बिक्री की खोज-खबर रखना है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियम बनाए जाने की माननीय उच्चतम-न्यायालय द्वारा गहनता से मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय सांसद द्वारा प्रस्तुत एसिड (नियंत्रण) विधेयक, 2014 के जरिए व्यक्त किए गए उपायों और सरोकारों तथा चिंताओं पर, उपर्युक्त क्रम में तैयार किए गए मसविदा नियमों के माध्यम से उपयुक्त रूप से ध्यान दिया गया है और उनके

निराकरण का प्रयास किया गया है।

मैं माननीय सांसदों को बताना चाहता हूं कि इसके अलावा सदस्यों द्वारा जो बातें रखी गयी हैं, मैं अलग-अलग बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं बल्कि संपूर्ण सुझावों पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनकी जानकारी मैं दूंगा।

पहला, एसिड की सेल को रैगुलेट करने के लिए जो सुझाव दिए गये हैं, उसके लिए हमने जिला जज तक, जो एसडीएम उसकी मॉनिटरिंग करता है, लाइसेंस देने का, स्टॉक चैक करने का, कौन लेने आया, कम स्टॉक है, ज्यादा स्टॉक है तो 50,000 रुपये फाइन करने का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। जो किरीट भाई ने बोला कि कोई अथॉरिटी बननी चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिला जज एक अच्छी अथॉरिटी है, जो पूरे जिले में इस पर कंट्रोल करती है और एक जिले में तीन-चार एसडीएम होते हैं। कोई भी स्टॉक घर या दुकान पर जाएगा, अगर स्टॉक कम या ज्यादा होगा तो 50,000 रुपये का फाइन होता है। इसके बारे में भी हमने सोचा है। जयश्रीबेन ने बताया कि फास्ट-ट्रेक होना चाहिए, तो फास्ट-ट्रेक के लिए गृह मंत्रालय राज्यों को निदेश देगा और उसके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे।

वर्तमान में जो रूल बनाए गये हैं, उनके अंतर्गत डीएम और राज्य सरकारों द्वारा एपाइंटेड किसी अधिकारी को एसिड सेल का लाइसेंस देने का जो नियम है, उसी के अनुसार कार्य किए जाएंगे।

मुआवजे के विषय में हमने कम से कम तीन लाख रुपये देने के लिए राज्य सरकारों को बोला है। हमारी सरकार अभी भी एक चर्चा कर रही है कि राज्य सरकार तीन लाख रुपया देगी, लेकिन केन्द्र सरकार ने एक विक्टिम कम्पनसेशन फंड बनाने की योजना तैयार की है। आप लोगों ने बताया कि केन्द्र सरकार कुछ दे, तो मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपया राज्य सरकार देगी और उससे ज्यादा भी करने के बारे में हम सोच रहे हैं। नःशुल्क ट्रीटमेंट के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को लिखा है। जो भी ट्रीटमेंट पर खर्चा आयेगा, वह पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में सब सोच लिया है।

सज़ा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले एसिड अटैक करने का प्रयास करते थे, उनको पांच, सात या दस साल थी।

HON. DEPUTY SPEAKER: The time allotted for discussion on this Bill was up to 5.50 p.m. Now the time is extended till the discussion on the Bill is over.

श्री हरिभाई चौधरी : एसिड अटैक के लिए दस साल की सजा थी, उसे बढ़ा कर आजीवन कारावास कर दिया है। इसके अलावा दो-तीन बातें और बताना चाहता हूं। आईपीसी की धारा 326 में हमने दो और धाराएं 326 (ए) और 326 (बी) जोड़ी हैं। ये दो प्रावधान जोड़ने के बाद हम लोग बार-बार मॉनिटरिंग करते हैं। गृह मंत्रालय से हर महीने चिट्ठी लिखते हैं कि पीड़ित को मुआवजा दिया गया है या नहीं। आपने बताया कि इस तरह के सौ केसिस हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन लोगों को मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और इस बारे में जो भी कड़े क़दम उठाने की आवश्यकता होगी, सरकार वह उठाएगी। आप सभी सांसदों को, जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।

*m17

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदय, महिलाओं के प्रति जघन्य एसिड अटैक के बारे में मैं एसिड कंट्रोल बिल लाया हूं। मैं अपने सभी साथी सांसदों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसे सेंसिटिव विषय पर सभी ने इसका खुलकर समर्थन किया है। मैं सरकार का और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं और मंत्री जी का भी आभारी हूं। जब नरेन्द्र भाई मोदी जी पहली बार सदन में बोले थे, तब उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहेगी। हमारी सरकार महिलाओं के उत्पीड़न के प्रति हमेशा कठोर रवैया अपनाएगी। जिस तरह से मंत्री जी ने प्रत्युत्तर दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूं तथा सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस विषय को संज्ञान में लीजिए और कड़े से कड़े प्रावधान कीजिए। इस संबंध में जो कुछ भी करना है, उसके बारे में आप प्रयत्न कीजिए। मैं अपना विधेयक वापस लेता हूं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for control of sale and distribution of acids in order to prevent the acid attacks on human beings particularly women and girls and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for control of sale and distribution of acids in order to prevent the acid attacks on human beings particularly women and girls and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI : I withdraw the Bill.

17.54 hrs.